

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम नई राज्यास तहसील फुलियाकलां

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 21/2019

उनवान

1 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी बिहारीलाल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

— वादीया

बनाम

- 1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भील.
- 2 छीतरमल पिता धूकल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 भंवरलाल पिता धूकल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 4 चान्दमल पिता धूकल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 मु.भूरी पुत्री धूकल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 6 दुर्गेश पिता बिहारी लाल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 7 राजेश कुमार पिता बिहारीलाल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 8 मंजू पुत्री बिहारीलाल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 9 कविता पुत्री बिहारीलाल मेवाडा उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा
श्री हितेश शर्मा..... वकील वादी
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक— 24.11.2021

वादीया का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम नई राज्यास हल्का पटवारी क्षेत्र देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 90 के आराजी संख्या 2 रकबा 0.43 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीया का नाम बतौर सहखातेदार कन्या बैवा बिहारीलाल कलाल सा.देह के स्थान पर मुन्नीदेवी बैवा बिहारीलाल कलाल (मेवाडा) सा.देह खातेदार व ग्राम कनेछनखुर्द हल्का पटवारी क्षेत्र कनेछनखुर्द तहसील फुलियाकलां खतौनी संख्या 91 के आराजी संख्या 40, 43, 78 किता 3 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर के अभिलेखों में वादीया का नाम बतौर सहखातेदार मन्यादेवी बैवा बिहारीलाल कलाल के स्थान पर मुन्नीदेवी बैवा बिहारीलाल मेवाडा (कलाल) दुरस्त किये जाने आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम नई राज्यास में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

सहायक उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा